निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 163/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

ओम प्रकाश पुत्र रूपनारायण जाति रेगर निवासी ठिकरिया, तहसील सागानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकुट सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जिला जयपुर ।
2. जीतू पुत्र गन्नानाथ जाति जोगी
3. दीपक पुत्र गन्नानाथ
4. राजूनाथ पुत्र लालनाथ
5. लच्छूनाथ पुत्र जीवणनाथ
6. विमला पत्नी गन्नानाथ
7. श्रवण लाल पुत्र लालानाथ
8. संजय पुत्र गन्नानाथ
9. सीता देवी पुत्री लालानाथ

   समस्त जाति जोगी, निवासी बोबास, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर।
10. धनेश कुमार पुत्र कालूराम जाति ब्राहमण निवासी बामणियावास, तहसील जोबनेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 148/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2024 ब उनवानी ओम प्रकाश बनाम जीतू व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 10 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रकरण संख्या 148/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2024 ब उनवानी ओम प्रकाश बनाम जीतू व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2024 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उसी दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय में शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु मुकदमें में आवाज लगवाई जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता को कहा गया कि आप शीघ्र सुनवाई की प्रति प्राप्त करें । मै पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 12.12.2024 को खारिज करूंगा । न्यायालय में उस समय अधिवक्ता के साथ प्रार्थी भी नकल लेने हेतु गया था तथा अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा दिनांक 27.12.2024 को ही यह धमकी दी कि मै एक दो दिवस में उक्त स्थगन खारिज करवा लूंगा। इससे साफ जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 1 अन्य अप्रार्थीगण के प्रभाव में है। अप्रार्थी संख्या 10 काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंचा वाला व्यक्ति है जिसकी पहुंच राजनैतिक लोगो से होने के कारण आये दिन कहता रहता है कि मैं प्रकरण का फैसला मेरे मन माफिक करवा लूंगा । जिसकी ताहीद उक्त पीठासीन अधिकारी के द्वारा किये गये तथ्यों से भी होती है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का व्यवहार न्यायिक तौर पर ठीक नही रहा तथा ऐसा लग रहा था कि वो प्रार्थी के प्रकरण में जल्द बाजी करते हुये प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण में न्याय निर्णय प्रार्थी के पक्ष में करने में असमर्थ है, उसके उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी विचाराधीन प्रकरण में विशष रूची रखते हुये प्रकरण का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आमदा हो रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को निस्तारण हेतु किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को भी खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर

जिला कलेक्टर
जयपर

प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर